Indian J. Soc. & Pol. 11 (01): 109-112 : 2024 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
(July-December 2023), 29 February 2024 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारत में 'समान नागरिक संहिता' का संवैधानिक एवं सामाजिक निहितार्थ

अविनाश प्रताप सिंह[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

'समान नागरिक संहिता' को लागू करने पर भारत में दशकों से विचार–विमर्श और बहस चल रही है। समान नागरिक संहिता मे देश मे सभी धर्मो, समुदायो के लिए एक समान,एक बराबर कानून की व्यवस्था की बात कही जाती है। समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है, जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे–विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण और विरासत इत्यादि के संदर्भ में एक समान रूप से लागू किये जाने की बात कही जा रही है। अभी तक शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलो मे भारत मे विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग–अलग कानून है। जबकि 'दंड प्रक्रिया संहिता' समान रूप से लागू है। दंड संहिता का न्यायिक शासन भारत के सभी नागरिको पर समान रूप से लागू होता है। दंड संहिता की तरह व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में भी समान नागरिक संहिता की मांग और बहस इस समय भारत मे सर्वाधिक चर्चा का विषय है। समान नागरिक संहिता लागू करने के समर्थन में अनेक तर्क दिए जा रहे हैं। तो साथ ही तुष्टिकरण की राजनीति भी अपने चरम सीमा पर है। 'एक देश एक कानून' के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है। भारत के संविधान में भी समान नागरिक संहिता का प्रावधान वर्षों पूर्व से उल्लेखित है। संविधान सभा मे भी समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने का जोरदार समर्थन किया गया था। दुनिया के लगभग सभी विकसित और अग्रणी देशों के अंदर भी 'एक देश एक कानून' देखने को मिलता है। एक देश एक कानून राष्ट्रीय एकता अखंडता का भी पर्याय है। एतदर्थ 'समान नागरिक संहिता' के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर शोध एवं विमर्श समीचीन है।

KEYWORDS: *नागरिक संहिता, संविधान, नीति–निर्देशक तत्व, विधायन*

भारत मे समान नागरिक संहिता वर्षों पूर्व से चर्चा और चिंता का विषय रहा है। समान नागरिक संहिता के विषय का लगभग 200 वर्षों की एक लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को व्यवस्थित करने की दृष्टि से 1833 ई. में चार्टर अधिनियम बनाया गया था। इसी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1835 में 'पहला विधि आयोग' की स्थापना की गयी। इसके अध्यक्ष लार्ड मैकाले थे। इसी आयोग ने वर्ष 1837 में एक रिपोर्ट 'लेक्स लॉकी रिपोर्ट' प्रस्तुत किया।(https: // hindi news6.8.com) इसी लेक्स लॉकी रिपोर्ट में भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया था। हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिन्दुओं को मुस्लिमों के वैयक्तिक कानूनों को इस प्रकार की संहिताकरण में बाहर रखा जाना चाहिए। यहाँ यह विचारणीय है कि ब्रिटिश भारत में सबके लिए समान कानून बनाने का तथ्य इस रिपोर्ट में स्पष्ट है। यद्यपि इस रिपोर्ट मे देश का कानून या स्थानीय कानून जिसमे अपराधों, सबूतों, साक्ष्यों और अनुबंधो से संबंधित कानून मे समानता लाने के लिए एक कानून बनाने की अनुशंसा की लेकिन साथ ही यह सुझाव दिया गया कि हिंदू और मुसलमानों के निजी कानून इस प्रक्रिया मे शामिल नही किये जाने चाहिए।(https://hindinews6.8.com) उन परिस्थितियों में अंग्रेजो द्वारा यह प्रयास स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के यात्रा के बाद भी समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नही किया जाना, प्रश्न तो खड़ा करेगा ही।

स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय 'सरला मुद्गल बनाम अन्य' में यह अपेक्षा किया कि संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बनाने का निर्देश दिया गया।(वही) ब्रिटिश सरकार ने 1941 मे 'हिंदू कानून को संहिताबद्ध' करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाई। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। साथ ही समिति ने हिंदुओ के लिए विवाह और उत्तराधिकारी के मुद्दों पर भी नागरिक संहिता की सिफारिश की।

'समान नागरिक संहिता' के संबंध मे भारत के संविधान सभा मे भी व्यापक विचार–विमर्श एवं बहस हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा मे यदि डॉ भीमराव अम्बेडकर और के.एम.मुंशी सहित कुछ सदस्य अड़े न होते तो 'यूनिफार्म सिविल कोड' संविधान का हिस्सा नही बन पाता। संविधान सभा में हुई बहस मे यूरोप और अंग्रेजो से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक की नजीरें इसके पक्ष–विपक्ष में रखी गयीं।(मिश्र 2023) प्रारूप अनुच्छेद 35 के प्रावधान से धर्म आधारित (धर्म अच्छादित) व्यक्तिगत कानूनों को अप्रभावित बनाये रखने के संबंध मे संविधान सभा मे तीन अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।(बर्नवाल,2019) पहले चरण मे सभी सदस्य अपना अपना ड्राफ्ट अधिकारों वाली उपसमिति के सामने रखे। अधिकारों वाली उपसमिति के सामने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, के. एम. मुंशी और मीनू मसानी ने जो ड्राफ्ट पेश किया, उसमे 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' को भी शामिल किया था।(मिश्र, 2023) समिति ने विचार–विमर्श के उपरान्त यूनिफार्म सिविल कोड को गैर न्यायिक (न्यायालय द्वारा बाध्यकारी

1: Corresponding Author

नही होगा) अधिकार में शामिल करने की सिफारिश की। लेकिन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इसे संविधान का हिस्सा नही बनने देना चाहते थे इसलिये 4 नवम्बर, 1948 को संविधान का जो ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया, उसमें अनुच्छेद 35 के रूप मे गैर न्यायिक सूची यानी नीति–निर्देशक तत्वों मे रखा गया। जिसकी भाषा इस प्रकार थी 'राज्य भारत के पूरे क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा'।(वही) 23नवम्बर,1948 को हुई बहस में कांग्रेसी सदस्य मीनू मसानी ने प्रस्तावित किया।(https :// www. thelallantop.com)

मद्रास से आने वाले मोहम्मद इस्माईल का कहना था कि इस अनुच्छेद के साथ यह शर्त जोड़ दी जाये कि ऐसे किसी कानून की स्थिति मे 'लोगों या किसी समुदाय को अपने पर्सनल लॉ को छोड़ने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।(मिश्र,2023) एक 'धर्म–निरपेक्ष राज्य' मे ऐसा कुछ भी नही किया जाना चाहिए जो लोगो के जीवन–पथ और धर्म में हस्तक्षेप करता हो।(बर्नवाल,2019) इसी प्रकार मिस्टर नजरुद्दीन अहमद और मिस्टर महबूब बेग साहिब बहादुर द्वारा भी विरोध प्रस्ताव लाया गया। (वही) इन सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए के.एम. मुंशी ने यूनिफार्म सिविल कोड के पक्ष में कई तर्क रखे। उन्होनें कहा कि 'तुर्की और मिस्र जैसे आधुनिक मुस्लिम देशो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के लिए अलग–अलग कानून नही हैं। यूरोप के देशों में दुनिया के लोग रहते हैं। वहां सबको सिविल कोड का पालन करना पड़ता है। उसे अत्याचार नही समझा जाता'।(वही) उन्होने कहा कि अंग्रेजों और उनकी अदालतों ने जानबूझ कर भावना भड़काई थी कि निजी कानून हमारे धर्म का हिस्सा है।

के. एम. मुंशी ने मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन की भी याद दिलाई जिसमें खिलजी ने कानून मे कई बदलाव किये, जिन्हे उलेमा ने शरीयत के खिलाफ बताया था। इस पर खिलजी ने कहा था कि मै अज्ञानी हूँ, लेकिन मै इस देश के हित के हिसाब से फैसले ले रहा हूँ। जब खुदा मेरी अज्ञानता भी देखेंगे और मेरी नेक–नीयत भी, तो वह मुझे शरीयत के हिसाब से काम न करने के बाद भी माफ कर देंगे।(वही) उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले मे उनकी भावनाओं का एहसास है लेकिन मुझे लगता है कि वे अनुच्छेद 35 को लेकर कुछ ज्यादा ही आशंकित हो रहे हैं। यह अनुच्छेद केवल यही प्रस्तावित करता है कि राज्य, देश के नागरिकों के लिए नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए ए के अय्यर ने कहा कि 'एक आपत्ति यह दर्ज की गई है कि समान नागरिक संहिता से समुदायों में वैमनस्य बढ़ेगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है'।

समान नागरिक संहिता के पीछे विचार यह है कि आपसी मतभेदों को बढ़ावा देने वाले कारकों को समाप्त किया जाए। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी देश के लिए समान नागरिक संहिता का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि 'मुझे लगता है की मेरे अधिकांश मित्र जिन्होंने इस संशोधन पर बात की है, वे यह भूल गये है कि 1935 तक उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत शरीयत कानून के अधीन नही था, इसने उत्तराधिकार के मामले में और अन्य मामलों मे हिंदू कानून का पालन किया। यह पालन इतना व्यापक और मजबूत था कि अंततः 1939 मे केंद्रीय विधानमण्डल को मैदान में आना पड़ा और उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रांत के मुसलमानों के लिए हिंदू कानून को निरस्त कर उन पर शरीयत कानून लागू किया गया। डॉ अंबेडकर के संशोधन के बाद संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 23नवम्बर 1948 को प्रारूप अनुच्छेद 35 (संविधान का अनुच्छेद 44) पर लाए गये सभी संशोधनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इस विश्वास के साथ मूल प्रारूप प्रावधान को अंगीकृत कर लिया कि भावी नीति–निर्मातागण अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए सिविल कानून के संदर्भ मे भी धर्म आधारित पृथकतावादी सोच को समाप्त कर देश के लिए एक 'धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता' बताएंगे। संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ते हुए साफ लगता है कि उस समय संविधान निर्माताओं की मंशा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को मौलिक अधिकारों मे रखने की थी, न कि नीति निर्देशक सिद्धांतों मे जगह देने की। विरोध करने वालों और समर्थन करने वालों के समझौते के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा बन कर रह गया।

'समान नागरिक संहिता' के संदर्भ मे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 मे उल्लिखित प्रावधान के आलोक मे सर्वोच्च न्यायालय ने भारत मे एक कानून बनाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस संबंध मे सबसे पहला मामला 1952 ई.मे 'नरसु अप्पमाली बनाम् स्टेट ऑफ बॉम्बे' के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया जिसमे धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार एवं समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के बीच का विषय विवादित था।(चन्सेरिया,2008) शाहबानो वाद (1985) में भी माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रुपरेखा तैयार करनी चाहिए ।

मुस्लिम महिलाओं के भरण–पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित 'शाहबानो मामले' में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'यह अफसोस की बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 'डेड–लेटर' बना हुआ है'। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि समान नागरिक संहिता से परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति जबरन वफादारी को दूर करके राष्ट्रीय एकता को मदद मिलेगी। देश के न्यायिक इतिहास मे शाहबानो का मामला सम्भवतः पहला मामला था, जिसमे सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष यूनिफॉर्म 'सिविल संहिता' के अभाव के कारण पैदा होने वाली विसंगतियों का सवाल पैदा हुआ था।(बर्नवाल,2019) संविधान पीठ की ओर से अपने निर्णय मे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया था कि यह भी दुःख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 'मृत अक्षर' बन कर रह गया है। यह प्रावधानित करता है कि 'राज्य नागरिकों के लिए यूनिफार्म सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 'कॉमन सिविल संहिता' को बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किये जाने का कोई साक्ष्य नही है।(वही)

इसी प्रकार मिस जार्दान हेंगडेह के मामले मे भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के अनुक्रम मे समान नागरिक संहिता के

सम्बन्ध में कानून की आवश्यकता की और ध्यान आकृष्ट किया है। यह संयोग ही था कि मुस्लिम कानून के संबंध मे जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के मामले की सुनवाई कर रहा था, ठीक उसी समय ईसाई धर्म से संबंधित मामले में समान नागरिक संहिता के संबंध मे टिप्पणी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अनुच्छेद 44 का प्रावधान जो कहता है कि 'राज्य नागरिको के लिए यूनिफार्म सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, मे जीवंतता प्रदान के लिए इसी न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने बल दिया है। यह मामला भी ऐसा ही है जो एक यूनिफॉर्म सिविल संहिता की आवश्यकता को तुरंत और बाध्यकारी करने पर ध्यान आकृष्ट कराता है। इसी प्रकार 'श्रीमती मेनका गांधी बनाम् इंदिरा गांधी' मामले मे निर्णित किया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता राज्य मे अधिनियमित करने के लिए बाध्य करता है तथा विवाह एवं भरण–पोषण संबंधी विधियों मे निहित विसंगतियों को सामान्य नागरिक कानून द्वारा ही दूर की जा सकती है।(चन्सेरिया,2008)

समान नागरिक संहिता से संबंधित 'सरला मुद्गल मामले' मे भी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चार याचिकाएं तय होने के लिए आयी थीं। इन सभी याचिकाओं में एक ही तरह के विवाद पर अलग अलग–अलग कानूनों के होने से उपजने वाली सामाजिक विसंगतियों का सन्दर्भ था। अपने निर्णय में एक न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश मे एकता के लिये हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने परंपरागत कानूनों का त्याग कर दिया गया है, ऐसी स्थिति मे देश की एकता के लिए किये गये इस त्याग से सीख लेने की अपेक्षा इस समुदाय से भी है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 41 वर्ष बाद भी आज शासक अनुच्छेद 44 को उस ठंडे बस्ते से बाहर निकालने के विचार में नहीं हैं, जहाँ वह 1949 से पड़ा हुआ है। जो भी सरकारें आयीं और गयीं, वे सभी भारतीयों के लिए एक युनिफॉर्म व्यक्तिगत कानून बनाने का प्रयास करने मे पूर्णतया विफल रहीं।(बर्नवाल, 2019) इसी प्रकार 'लिली थॉमस (2000) का मामला', 'जॉन वलामत्तम (2003) का मामला', 'शाहबानो (2017) का मामला', 'जोस पॉलो कोरिन्हो (2019) का मामला' इत्यादि सभी मे न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 44 के अनुक्रम मे कानून बनाए जाने की मंशा प्रकट की गयी है।

समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए लम्बे समय से मंशा, मांग और आवश्यकता बताई जा रही है। समान नागरिक सहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर–सरकारी विधेयक भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया था। काफी लम्बे समय से समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी घमासान भी चल रहा है। जहाँ एक ओर संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया और भविष्य में भारत में समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रावधान के अंतर्गत भारत मे समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए लगातार टिप्पणी किया है। भारत में राजनीतिक मंचो से लेकर संसद के पटल पर भी समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार पक्ष–विपक्ष, समर्थन–विरोध तथा विचार–विमर्श होता रहा है। राज्यसभा मे पेश समान नागरिक संहिता पर बहस के उपरांत मतदान मे 63 मत पक्ष मे, 23 मत विपक्ष मे डाले गये। इस बिल में मांग की गई है कि देश मे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति बनाया जाए। (https: // www. naidunia.com) हांलाकि इस विधेयक के विरोध में विपक्ष द्वारा अनेक पक्ष रखे गये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम मे बोलते हुए समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया। उन्होने कहा कि संविधान मे सभी नागरिको के लिए एक समान अधिकार मिला है। दो अलग–अलग कानून से घर तक नही चलता तो देश कैसे चलेगा। इसी प्रकार समान नागरिक संहिता पर कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में 22 वें विधि आयोग ने भी विभिन्न समुदायों, संगठनो से सुझाव आमंत्रित किये थे। विधि आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर लगभग 46 लाख सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। विधि आयोग इनमें से कुछ समुदायों और संगठनों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुला सकता है।

विदित है कि भारत का एक मात्र प्रदेश गोवा जहाँ पर सामान नागरिक संहिता लागू है। गोवा नागरिक संहिता जिसे गोवा परिवार कानून भी कहा जाता है, नागरिक कानून का समूह है जो भारतीय राज्य गोवा के निवासियो को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार उत्तराखंड भी समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। यह कानून एकरूपता, लैंगिक समानता और आधुनिकीकरण की दिशा मे ऐतिहासिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पैनल ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है। इसी प्रकार गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी प्रारम्भ हो गयी है। यह सही है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का वातावरण सम्पूर्ण भारत में बन रहा है। केंद्र से लेकर भाजपा शासित राज्यों में इसके लिये कम अधिक प्रयास भी प्रारंभ कर दिया गया है। उत्तराखंड और गुजरात की तरह अन्य प्रदेशों में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अधीन समान नागरिक संहिता पर चर्चा, विचार–विमर्श और पक्ष–विपक्ष को लेकर बहस प्रारम्भ है।

वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करने के मार्ग में चुनौतियां क्या हैं और सम्भावनाएं क्या हैं? समान नागरिक संहिता लागू होने से सामान्य तौर पर यह भ्रम फैलाया जाता रहा है कि इससे अल्पसंख्यों के अधिकार कम हो जायेंगे। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इस कानून से समानता और मजबूत होगी। कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह समान नारिक संहिता को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समान कानून लागू करेगी जो उनके पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी। इस कानून का विरोध करने वालों का यह भी मानना है कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 के द्वारा प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करेगी। साथ ही राजनीतिक इच्छा–शक्ति और सर्वसम्मति का भी व्यापक अभाव है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉ और प्रथाओं में सामंजस्य लाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी हितधारकों को तैयार करना चुनौती है।

उन्हें समान नागरिक संहिता की मूल भावना एवं वृहत्तर उद्देश्य को समझना होगा। समान नागरिक संहिता के माध्यम से भारत मे राष्ट्रीय एकता और पंथनिरपेक्षता की स्थापना के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। समानता, बंधुता और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्य भी सम्पुष्ट होगे। साथ ही महिलाओं के अधिकारो में समरूपता भी आएगी। साथ ही विकसित भारत के निर्माण मार्ग में समान नागरिक संहिता की भी विशेष भूमिका बन सकती है।

REFERENCES

बर्नवाल, अनूप (2019) *समान नागरिक संहिता (चुनौतियाँ और समाधान),* लोकभारती

मिश्र, प्रेम शंकर, (2023) *नव भारत टाइम्स,* 4 जुलाई 2023

विजन, (2022) आई. ए. एस. मार्च 2022,

पाण्डेय, डॉ० जयनारायण, (2020) *भारत का संविधान,* इलाहाबाद, *सेंट्रल लॉ एजेंसी,*

अम्बेडकर, डॉ भीमराव, ए.के. अय्यर ने संविधान सभा मे की थी जोरदार पैरवी। *https://theprint.in*

चन्सेरिया ,दिव्या, (2008) *समान नागरिक संहिता : महिलाओ की स्थिति,* नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन,

जैन, सचिन कुमार, निदेशक, विकास संवाद *https: // hindi news18.com .*